



संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)

Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

पत्र संख्या : पी.जी.आई./अधि./आर.एस.डी. संख्या 2331/एफ,भाग-2/613 /2024

दिनांक: 03-08-2024

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के कार्यालय जाप सं. 28/03/2024-P&W(B)/Gratuity/9559 दिनांक 30.05.2024 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, सरकार के शासनादेश सं. 15/2024/आई/681038/2024/10-22099/1537/2020 दिनांक 02 जुलाई, 2024 के द्वारा महँगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 50 प्रतिशत तक पहुँचने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उपदान की अधिकतम सीमा में वृद्धि किये जाने के परिपालन में निम्नवत् आदेश पारित किये जाते हैं -

दिनांक 01.01.2024 से महँगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 50 प्रतिशत होने के परिणामस्वरूप शासनादेश दिनांक 23.12.2016 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2024 को अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त संस्थान के कर्मिकों को देय उपदान की अधिकतम सीमा रु. 25 लाख की जाती है।

(प्रो. राधा कृष्ण धीमन)

निदेशक

प्रतिलिपि -

1. अपर निदेशक, एस.जी.पी.जी.आई.।
2. कार्यपालक कुलसचिव, एस.जी.पी.जी.आई.।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक, एस.जी.पी.जी.आई.।
4. वित्त अधिकारी, एस.जी.पी.जी.आई.।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), एस.जी.पी.जी.आई.।
6. विभागाध्यक्ष, बी.एच.आई. को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त कर्मिकों को सूचना पट्ट के माध्यम से सूचनार्थ।

(प्रो. राधा कृष्ण धीमन)

निदेशक